Result Mitra Daily Magazine

नवगठित सरकार के गठन में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका है अद्वितीय

चर्चा में क्यों?

- लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं. जिसकी मतगणना 4 जून को हुई थी।
- भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 240 सीटों पर जीत दर्ज की है, तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 293 सीटों पर बढ़त बनाई है।
- वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले आइएनडीआइए गठबंधन को 232 सीटों पर जीत मिली।
- अतः किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है।
- फलस्वरूप इस प्रकार की परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

संसद में बहुमत के निहितार्थ

- भारतीय संसद में बहुमत प्राप्त करने हेतु, किसी दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में 50 प्रतिशत से अधिक सीटें जीतनी चाहिए।
- लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें दो मनोनीत सदस्य हैं - जो 545 हैं। चुनावों के दौरान अपने शासन का बचाव करने वाले दल को चुनावों में विजयी होने के लिए 543 सीटों में से 50 प्रतिशत - कम से कम 272 - जीतना चाहिए।
- जब कोई भी दल या दलों के गठबंधन सदन में बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, तो स्थिति 'त्रिशंकु संसद' के रूप में सामने आती है - जिसका अर्थ है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए निचले सदन में पर्याप्त निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकती है।

चुनाव नतीजों के बाद आगे क्या?

- परिणाम घोषित होने और चुनाव आयोग द्वारा नवनिर्वाचित सांसदों की सूची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे जाने के बाद, राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को यह साबित करने के

Result Mitra

लिए बुलाएंगी कि उसे अधिकांश सांसदों का समर्थन प्राप्त है।

- इससे पहले, प्रत्येक विजयी उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा।
- उम्मीदवार को प्रमाण पत्र की प्राप्ति की पावती पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा, जिसे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तुरंत पंजीकृत डाक द्वारा लोकसभा के महासचिव को भेज दिया जाएगा।
- इसके बाद चुनाव आयोग राष्ट्रपति को निर्वाचित सांसदों की सूची सौंपेगा, जिससे 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।
- 2019 में चुनाव आयोग ने 25 मई को राष्ट्रपति को सूची सौंपी थी - नतीजे घोषित होने के दो दिन बाद।
- उसी दिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एनडीए को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और 30 मई को शपथ ग्रहण हुआ।
- 2004 में जब कोई भी पार्टी बहुमत पाने में सफल नहीं हुई तो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गुट का गठन किया गया और उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया।

गठबंधन सरकार के गठन में राष्ट्रपति की भूमिका का विश्लेषण

- यद्यपि अगर किसी भी पार्टी या चुनाव-पूर्व गठबंधन को निचले सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो अगले प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

Result N

- इस मामले में राष्ट्रपति को मार्गदर्शन देने के लिए कोई निश्चित प्रावधान नहीं है।
- अपितु राष्ट्रपति आर वेंकटरमन और उनके बाद राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुलाने का विकल्प चुना।
- राष्ट्रपति केआर नारायणन ने हालांकि, उस समूह के सहयोगी दलों का समर्थन सुनिश्चित किया, जिसके नेता ने प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी की थी।
- परंतु क्या राष्ट्रपति भवन यह तय करने का अधिकार है कि किसके पास बहुमत है या फिर सदन का पटल?
- दरअसल यह व्यापक धारणा है कि वर्तमान सरकार को हर समय बहुमत प्राप्त होना चाहिए।
- हालांकि संविधान अल्पमत सरकार को पद पर बने रहने की अनुमति देता है।
- 1991 की नरसिंह राव सरकार, जिसने भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, अल्पमत सरकार थी
- केवल एक शर्त पूरी होनी चाहिए कि सदन में कोई भी बहुमत सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए एक साथ इकट्ठा न हो।
- समूहों के बीच आपसी दुश्मनी जो मिलकर बहुमत बनाती है, उन्हें अल्पमत सरकार को सत्ता में बने रहने देने के लिए राजी कर सकती है, बजाय इसके कि उसे किसी प्रस्ताव द्वारा बाहर किया जाए।
- इस मामले में, राष्ट्रपति के सामने विकल्प यह है कि वह ऐसे नेता को आमंत्रित करें, जो उनके आकलन के अनुसार, एक स्थिर सरकार प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना रखता हो, और सदन को उसके निर्णय का परीक्षण करने दें।

त्रिशंकु संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका

- त्रिशंकु संसद कोई समय-विशिष्ट घटना नहीं है। यहां तक कि जब कोई दल या चुनाव-पूर्व गठबंधन बहुमत प्राप्त कर लेता है और सरकार बना लेता है, तब भी इस गठबंधन के दलों की सदस्यता में कमी से त्रिशंकु संसद बन सकती है।
- जब त्रिशंकु संसद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति की संवैधानिक संस्था को कुछ कदम उठाने का अधिकार होता है, जिससे ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
- भारत में नए चुनाव तब कराए जाते हैं जब कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होती। तब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है।

Result Mitra

- हालाँकि, राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले, लोकसभा चुनावों के मामले में राष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के मामले में राज्य के राज्यपाल दलों को गठबंधन सरकार बनाने का अवसर देते हैं ताकि नए चुनावों से बचा जा सके।
- केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की अनुसंशाओं के अनुसार:
- राष्ट्रपति द्वारा प्रथम प्राथमिकता उस चुनाव-पूर्व गठबंधन को दी जानी चाहिए जिसने बहुमत प्राप्त कर लिया हो।
- हालांकि प्रथम विकल्प के ना होने पर द्वितीय वरीयता उस सबसे बड़ी पार्टी को दी जानी चाहिए जिसके पास बहुमत नहीं है।
- वहीं तृतीय वरीयता चुनाव के बाद बहुमत वाले गठबंधन को दी जानी चाहिए।
- अपितु अंतिम वरीयता चुनाव-पश्चात गठबंधन को दी जानी चाहिए, जहां कुछ साझेदार सरकार में शामिल हों, जबकि अन्य बाहर से समर्थन प्रदान करें।

राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां

- भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
- हालांकि ऐसे मामले, जहां भारतीय राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम नहीं करते, उन्हें भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने पर समझा जा सकता है।
- राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति तब होती है जब वह निलंबन वीटो का प्रयोग करता है, अर्थात जब वह किसी विधेयक (धन विधेयक नहीं) को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाता है।
- जब किसी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति को उस दल या दलों के गठबंधन के नेता को आमंत्रित करने का विवेकाधिकार प्राप्त होता है, जो उनकी राय में स्थिर सरकार बनाने में सक्षम हो।
- जब मंत्रिमंडल लोकसभा में बहुमत खो देता है तो यह निर्णय राष्ट्रपति को करना होता है कि उन्हें लोकसभा भंग करनी चाहिए या नहीं।
- राष्ट्रपति लोकसभा को केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही भंग कर सकता हैं, लेकिन यह सलाह तभी बाध्यकारी होगी जब नवगठित सरकार बहुमत में हो।
- कार्यवाहक सरकार को लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं होता है और इसलिए उससे बड़े फैसले लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि उससे केवल दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक

Result Mitra

फैसले लेने की अपेक्षा की जाती है। तब राष्ट्रपति ही दिन-प्रतिदिन के फैसले लेने हेतु उत्तरदायी होता है।

भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएँ

- राष्ट्रपति का अधिकार संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के साथ-साथ संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा सीमित है।
- राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों में से एक संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना या उसे वापस करना है।
- यदि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करना चुनते हैं, तो यह कानून बन जाता है।
- हालाँकि, यदि राष्ट्रपति कानून बनने से पहले विधेयक को वापस कर देते हैं, तो संसद के पास उसी विधेयक को फिर से पेश करने और पारित करने का अधिकार होता है, और राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के मार्गदर्शन और सलाह पर निर्भर करता है।
- संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्य करने के लिए बाध्य है, और अंतिम आदेश अंततः राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है।
- इसके अलावा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।
- न्यायपालिका के पास राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णयों की जाँच करने का अधिकार है, जिसमें क्षमा प्रदान करने और सजा कम करने की उनकी शक्ति भी शामिल है।
- राष्ट्रपति के पास सीमित विधायी शक्तियाँ हैं, जो सत्र बुलाने और स्थगित करने, अध्यादेश जारी करने और विधेयकों को मंजूरी देने तथा भारतीय संसद के निचले सदन, लोक सभा को भंग करने तक सीमित हैं।
- हालाँकि, क्षमादान देने और सज़ा कम करने का राष्ट्रपति का अधिकार मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन है।
- नतीजतन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ विभिन्न जाँच और संतुलन के अधीन हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद के बीच शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण वितरण बनाए रखे।

Result Mitra